न्यायालय - अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-2, बयाना, जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी -: प्रशान्त शर्मा(RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दीवानी प्रकरण संख्या -: 26/2023

सी.आई.एस. नम्बर -: 51/2023

01. चंद्रवती पत्नि महेन्द्र सिंह, उम्र 40 साल, निवासी श्रीनगर रूंध रूपबास तहसील रूपबास, जिला भरतपुर (राज०)
02. भारती पुत्री महेन्द्र सिंह, उम्र 14 साल,
03. गुडिया पुत्री महेन्द्र सिंह, उम्र 10 साल,
04. प्रवेश कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह, उम्र 8 साल,
    निवासियान- श्रीनगर, रूंध रूपबास तहसील रूपबास, जिला भरतपुर (राज०), नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक मां चंद्रवती पत्नि महेन्द्र सिंह, उम्र 38 साल, निवासी श्रीनगर रूंध रूपबास तहसील रूपबास, जिला भरतपुर (राज०)

– प्रार्थीगण

विरूद्ध

01. मनोहरी पुत्र मल्ली,
02. भगवान सिंह पुत्र हीरालाल,
03. गोरधन पुत्र हीरालाल,
04. ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल,
05. नत्थासिंह पुत्र हीरालाल, निवासीयान- श्रीनगर रूंध रूपबास तहसील रूपबास, जिला भरतपुर (राज०)
06. ओमवती पुत्री हीरालाल पत्नि रामवीर, निवासी सीताराम कोलोनी गुलाब बाग धौलपुर, जिला धौलपुर (राज०)
07. केदार प्रसाद पुत्र बृजेन्द्र,
08. ईश्वरीप्रसाद पुत्र बृजेन्द्र,
09. पवन कुमार पुत्र बृजेन्द्र, निवासीयान- श्रीनगर रूंध रूपबास तहसील रूपबास, जिला भरतपुर (राज०)
10. तारावती पत्नि कुंवरसिंह उर्फ कुमर,
11. पुष्पेन्द्र पुत्र कुंवर सिंह,
12. गीतमसिंह पुत्र कुंवर सिंह,
13. नीतू पुत्री कुंवर सिंह,
14. राजकुमारी पुत्री कुंवर सिंह, निवासीयान- श्रीनगर रूंध रूपबास तहसील रूपबास, जिला भरतपुर (राज०)
15. सुनीता पुत्री भंवरसिंह पत्नि कमलसिंह, निवासी राजपुरा तहसील रूपबास, जिला भरतपुर (राज०)
16. वेदप्रकाश पुत्र अतरसिंह,

17. लोकेश पुत्र अतरसिंह, निवासीयान- श्रीनगर रूंध रूपबास तहसील रूपबास, जिला भरतपुर (राज०)

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2
एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः-

1. श्री संतोष शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री मोहन लाल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थीगण

-: आदेशः-

दिनांक -: 12.03.2026

01. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी, इन संक्षिप्त तथ्यों का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एवं दावे के तरतीबी प्रतिवादी संख्या 18, 19 के पूर्वज मुल्ली पुत्र भोली की छोडी हुई आवासीय आबादी की भूमि एवं मकान वाके ग्राम श्रीनगर, रूंध रूपबास, तहसील रूपबास में स्थित है, जिसकी सीमा व नाप निम्न प्रकार हैं:- तरफ पूर्व नाप 147 फीट इस तरफ मकान विशन, भूरीसिंह, उदल, तरफ पश्चिम नाप 146 फीट इस तरफ रास्ता आम, तरफ उत्तर नाप 98 फीट इस तरफ मकान भगवानसिंह व तरफ दक्षिण नाप 81 फीट इस तरफ मकान गुलमा व तारा । मुल्ली पुत्र भोली की ही छोड़ी हुई कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम रूंध रूपबास तहसील रूपबास, जिला भरतपुर में स्थित है। फोटोप्रति नकल जमाबन्दी व नक्शा आबादी भूमि प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण व दावे के तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 18, 19 एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज मुल्ली पुत्र भोली की मृत्यु हो चुकी है । मुल्ली के 6 संतान हीरालाल, बुद्धा, मनोहरी, भंवर, विजेन्द्र व अतरसिंह पुत्र थे । दिनांक 23.5.1981 को मृतक मुल्ली की विरासत का नामान्तकरण संख्या 866 ग्राम पंचायत रूंध रूपबास द्वारा खोला गया था, जिसमें मृतक मुल्ली के अन्य वारिसानों ने उसके पुत्र बुद्धा पुत्र मुल्ली, जो प्रार्थीनी संख्या 1 का ससुर एवं प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 एवं दावे के तरतीबी प्रतिवादी सं. 18 व 19 का दादा था, को छिपाते हुये अन्य वारिसान

हीरालाल, मनोहरी, भंवर, विजेन्द्र व अतरसिंह ने सम्पूर्ण आराजी को अपने नाम 1/5-1/5 हिस्सा दर्ज करा लिया, जबकि मौके पर मृतक मुल्ली के सभी 6 पुत्र 1/6-1/6 हिस्से पर काबिज एवं दखल होकर काश्त करते हुये चले आ रहे हैं, जिस बात की जानकारी ना तो बुद्धा को उसके जीवनकाल में हुई और ना ही प्रार्थीगण व दावे के तरतीबी प्रतिवादी सं. 18, 19 के पति व पिता महेन्द्र को उसके जीवनकाल में हुई । बुद्धा के एक मात्र प्रार्थीगण दावे के तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 18, 19 का पति व पिता महेन्द्रसिंह व उसकी पुत्री मीरा वारिस हैं । महेन्द्रसिंह की मृत्यु होने के उपरान्त प्रार्थिनी संख्या 1 तथा मीरा और उसके बच्चे 1/6 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते हुये चले आ रहे हैं तथा आबादी भूमि में बने हुये मकान व जगह में 1/6 हिस्से के अनुसार अपनी रिहायश करते हुये चले आ रहे हैं। मनोहरी एवं बुद्धा की शादी एक साथ हुई थी और दोंनों की पत्नियों आपस में सगी बहिने थी । सभी भाईयों में आपस में काफी प्रेम व विश्वास था तथा शामिल-शरीक रहते थे। दिनांक 01.05.2023 को प्रार्थिनी संख्या 1 अपने हिस्से की आराजी को देखने गई, तो वहाँ पर अप्रार्थीगण मौके पर आ गये और प्रार्थिनी संख्या 1 को एलानियां धमकी दी । अप्रार्थीगण द्वारा दी गई धमकी से परेशान व भयभीत होकर प्रार्थिनी संख्या 1 ने पूरा रैवन्यू रिकोर्ड प्राप्त किया, तब उसे जानकारी हुई, कि मुल्ली के पाँच पुत्रों ने अपने भाई बुद्धा को छोडते हुये पूरी जमीन अपने नाम करा ली है । बुद्धा व उसका पुत्र महेन्द्र बिना पढे-लिखे थे । विवादित जायदाद हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है, जिसमें हिन्दू संयुक्त परिवार के सभी कोपारशनर का बराबर-बराबर का हक है । प्रार्थीगण के पास उक्त आराजी के अतिरिक्त अन्य कोई आय का साधन नहीं है तथा मुल्ली की छोडी हुई आबादी भूमि के मकान के अतिरिक्त अन्य कोई रिहायश की जगह नहीं है।यदि अप्रार्थीगण अपनी उक्त धमकी को कार्यरूप में परिणित करने में सफल हो गये, तो प्रार्थीगण को ऐसी सख्त हकतलफी एवं बर्बादी होगी, जिसकी क्षति पूर्ति रूपयों पैसों में सम्भव नहीं हो सकेगी । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे, कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 3 व 4 में वर्णित आबादी भूमि में स्थित मकान में

रिहायश करने से नहीं रोके, ना बेदखल करें एवं आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा में प्रार्थीगण को 1/6 हिस्से की कृषि भूमि में काश्त करने, जोतने बोने, फसल लेने, काटने से नहीं रोकें मकान एवं कृषि भूमि के स्वतंत्र उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा एवं हस्तक्षेप ना तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावे। किसी दीगर शक्स को रहन वय मुन्तिकिल नहीं करे। मौके एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

02. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधिकांश मदो को अस्वीकार करते हुए कथन किया गया है, कि प्रार्थीगण का पूर्वज मुल्ली नहीं था । प्रार्थीगण ने वंश वृक्ष गलत व अधूरा बनाया है । बुद्धा के पिता का नाम दौजी था, जो गांव कपूरा तहसील बयाना का था व बुद्धा का जन्म दौजी के नुक्श से गांव कपूरा तहसील बयाना में हुआ था । अतरसिंह पुत्र मुल्ली के वारिसान का सजरा गलत व अधूरा बनाया है । अतरसिंह के दो पुत्र वेदप्रकाश, लोकेश, एक पत्नि गिर्राजी व पांच पुत्री आशा, गीता, नीरज कुमारी, विमलेश, सपना है, जिनको मुकदमा पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । प्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई लेना-देना नहीं है, ना ही कभी रहा है । प्रार्थीगण ने उक्त आवासीय मकान की दिशा, नाप गलत अंकित की है । आराजी खसरा नंबर 129 रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम रूंध रूपबास में मुल्ली पुत्र भोली की छोडी है । मुल्ली के पांच पुत्र मनोहरी, हीरालाल, बृजेन्द्र, भंवरसिंह व अतरसिंह हुये । मुल्ली की विरासत का ग्राम पंचायत में विधिवत दाखिला सन् 1981 में 42 वर्ष पूर्व खुल गया है । बुद्धा पुत्र दौजी निवासी कपूरा तहसील बयाना का है । मुल्ली का बुद्धा कोई पुत्र नहीं था । मुल्ली की मृत्यु के बाद पांचों पुत्रों को विरासत का दाखिला दिनांक 23.05.1981 सही खुला है । प्रार्थिनी अप्रार्थीगण की जमीन पर कभी नहीं गई, ना ही दिनांक 01.05.2023 को गई । प्रार्थिनी भरतपुर रहती है, जिसको अप्रार्थीगण ने कोई धमकी नहीं दी। प्रार्थिनी का आवासीय जमीन व खसरा नंबर 129 रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा से कोई लेना-देना नहीं है । प्रार्थिनी ने मनगढन्त झूठा कहानी बनाकर दावा पेश किया है । विशेष विवरण में कथन किया है, कि प्रार्थीगण

का पूर्वज ददिया श्वसुर व परबाबा दौजी था, जो गांव कपूरा तहसील बयाना का निवासी था, जिसकी शादी सुगनी देवी से हुई थी । दौजी की पत्नि का नाम सुगनी देवी था । दौजी के नुत्फे से सुगनी के एक पुत्र बुद्धा हुआ था । बुद्धा जब 5-6 वर्ष का था, उसी समय जवानी में दौजी मृत्यु को प्राप्त हो गया था । बुद्धा का लालन-पोषण उसके चाचा, ताऊ व परिवार वालों ने गांव कपूरा में किया था । बुद्धा की शादी रामकली से हुई थी । बुद्धा के महेन्द्र व मीरा दो संताने हुई थी। महेन्द्र की पत्नि का नाम चंद्रवती है । महेन्द्र सिंह के एक लडका व चार लडकी हुई थी । बुद्धा के नाम से नामान्तकरण संख्या 624 दिनांक 14.11.2021 को खुला हुआ है । नकल जमाबंदी संख्या 2027 से 2031 तक में बुद्धा पुत्र दौजी दर्ज है। बुद्धा की मृत्यु दिनांक 24.02.1976 में हुई थी । बुद्धा की विरासत महेन्द्र सिंह को आई व महेन्द्र सिंह के मरने के बाद पत्नि चंद्रवती को आई । बुद्धा की जमीन को चंद्रवती ने बेच दिया है । गांव कपूरा में दौजी की जमीन बुद्धा को बहिस्सा बराबर आई थी, जिसको विक्रय कर दिया था । अब चंद्रवती ने श्रीनगर की बुद्धा पुत्र दौजी की विरासत महेन्द्र की जमीन जायदाद को विक्रय कर भरतपुर में रह रही है तथा फर्जी कागजात बनवाकर बुद्धा पुत्र दौजी को बुद्धा पुत्र मुल्ली बताकर व मुल्ली पुत्र भोली की जमीन में हिस्सा लेने के लिये झूठी कहानी बनाकर दावा पेश किया है । फर्जकारी कर बुद्धा पुत्र दौजी के स्थान पर बुद्धा पुत्र मुल्ली बनकर जमीन में हिस्सा लेने की फर्जकारी कर तहसीलदार रूपबास से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनावाया गया है, जिसकी अप्रार्थी मनोहरी ने एफआईआर नंबर 662/22 थाना रूपबास में दर्ज कराई है, जिसकी कार्यवाही चल रही है, जिसकी गिरफ्तारी से बचने के लिये यह झूठा दावा पेश किया है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

03. अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 7, 11, 12, 13 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16 व 17 के जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों का दोहराव किया है ।

04. बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

05. अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को विधि के द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं पर विवेचन करना होता है, जो निम्न प्रकार से है:-

01. प्रथमदृष्टया मामला
02. सुविधा का संतुलन
03. अपूरणीय क्षति

-:प्रथमदृष्टया मामला:-

06. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराव करते हुए मुख्य रूप से तर्क दिया है, कि उभयपक्षकारान एक ही पूर्वज मुल्ली आत्मज भुल्ली के वंशज है, जिसकी प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 व 4 में वर्णित छोडी हुई जायदाद के उसकी मृत्यु के पश्चात उसके कुल छः पुत्र हीरालाल, बुद्धा, मनोहरी, भंवर, विजेन्द्र व अतरसिंह वारिस थे, परन्तु अप्रार्थीगण ने मृतक मुल्ली के पुत्र बुद्धा, जो प्रार्थिया सं. 1 का ससुर एवं प्रार्थीगण क्रम 2 लगायत 4 व तरतीबी प्रतिवादीगण क्रम 18 व 19 का दादा था, को छिपाते हुए शेष पॉच पुत्रों के हक में दिनांक 23.05.1981 को ग्राम पंचायत रूंध रूपबास द्वारा नामान्तकरण संख्या 866 खुलवा लिया तथा प्रत्येक ने अपना 1/5-1/5 हिस्सा दर्ज करवा लिया, जबकि मौके पर मृतक मुल्ली के सभी छः पुत्र 1/6-1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त नामान्तकरण की जानकारी बुद्धा को अपने जीवनकाल में कभी नही हुई है, न ही प्रार्थीगण को इस बारे में ज्ञान हुआ, परन्तु दिनांक 01.05.2023 को अप्रार्थीगण ने मौके पर आकर प्रार्थिया संख्या 1 को बेदखल करने एवं उसके हिस्से को अन्यत्र रहन व मुंतकिल करने के लिए धमकाया, तब प्रार्थीगण को यह जानकारी हुई कि मृतक मुल्ली के पांचों पुत्रों ने अपने भाई बुद्धा को छोडते हुए पूरी जमीन अपने नाम करवा ली है, जबकि वादग्रस्त जायदाद संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है, जिसमें सभी सहदायिकों का बराबर अधिकार है। प्रार्थीगण के पास रहवास या आय का अन्य कोई जरिया नही है, जिन्हें यदि बेदखल कर दिया गया, तो उन्हें कारित क्षति की पूर्ति मुद्रा में किया जाना संभव नही है। अंततः प्रथम दृष्टया मामला एवं सभी सुसंगत बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में होना बताते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया।

07. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है, कि प्रार्थीगण का पूर्वज मुल्ली नही था। प्रार्थीगण ने गलत व अधूरा वंशवृक्ष पेश किया है। मुल्ली का पुत्र बुद्धा नही था। वास्तविकता में बुद्धा के पिता का नाम दौजी निवासी कपूरा तहसील बयाना था। प्रार्थीगण ने सभी सम्बन्धित एवं प्रभावित व्यक्तियों को मुकदमें में पक्षकार नही बनाया है। अप्रार्थीगण के पक्ष में वर्ष 1981 में नियमानुसार नामान्तकरण खोला गया है। प्रार्थनापत्र में वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति से प्रार्थीगण का कोई लेना-देना नही है। नामान्तकरण सं. 624 से स्पष्ट है, कि बुद्धा के पिता का नाम दौजी है, जिसे दौजी के मृत्यु के उपरान्त उसकी समस्त जायदाद विरासत में प्राप्त हुई थी, जिसे बुद्धा ने विक्रय कर दिया, क्योंकि दौजी की पत्नि सुगनी कम आयु होने के कारण ग्राम श्रीनगर तहसील रूपबास में दूसरी कर ली थी। प्रार्थीगण ने झूठी कहानी बनाकर अप्रार्थीगण की जायदाद हडपने के लिए यह आधारहीन मामला प्रस्तुत किया है। इस नियत से प्रार्थीगण ने बुद्धा को दौजी के स्थान पर मुल्ली का पुत्र बताते हुए तहसीलदार रूपबास से फर्जी मृत्यु प्रमाण भी बनवा लिया है, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी मनोहरी ने पुलिस थाना रूपबास में मुकदमा नं. 662/2022 दर्ज करवाया है, जिसमें लम्बित कार्यवाही से बचने के लिए यह झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है, जिसे खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

08. उभयपक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

09. उभयपक्षकारान द्वारा उठाये गये अभिवचनानुसार, मामले में उभयपक्षकारान के मध्य इस बिंदु पर कोई विवाद होना प्रकट नही हुआ है, कि हस्तगत प्रार्थनापत्र की चरण सं. 3 व 4 में वर्णित सम्पत्ति स्व. मुल्ली पुत्र भोली, कौम चमार, निवासी कोठीखेडा की रही है। हस्तगत मामले में पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद यह रहा है, कि प्रार्थीगण ने अपने ससुर एवं दादा बुद्धा को मुल्ली पुत्र भोली का पुत्र होना कथन किया है, जबकि अप्रार्थीगण ने इस तथ्य से इंकार करते हुए बुद्धा को दौजी नामक व्यक्ति का पुत्र होना बताया है, जिसका उनके पूर्वज मुल्ली से कोई संबंध नही होना अंकित किया है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र में स्व. मुल्ली के कुल छः पुत्र हीरालाल, बुद्धा, मनोहरी, भंवर, विजेन्द्र व अतरसिंह होना बताया गया है,

जबकि जबाब प्रार्थना पत्र में स्व. मुल्ली के बुद्धा को छोडकर कुल पॉच पुत्र ही होना अंकित किया गया है। प्रार्थीगण का मुख्य आक्षेप यही रहा है, कि उक्त मुल्ली की मृत्यु के पश्चात हीरालाल, मनोहरी, भंवर, विजेन्द्र व अतरसिंह ने बुद्धा का वजूद छिपाते हुए अपने हक में नामान्तकरण खुलवा लिया है । उक्त नामान्तकरण खुलवाये जाने की प्रथमदृष्टया संपुष्टि फोटो प्रति जमाबंदी भूमि खसरा संख्या 129 सम्वत् 2072-2075 से होती है। प्रार्थीगण की ओर से बयाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली 1966 प्रस्तुत की गई है, जिसकी क्रम संख्या 301 पर बुद्धा के पिता के रूप में मुरली का नाम अंकित रहा है। वर्ष 2023 में ग्राम पंचायत रूंध रूपबास के सरपंच द्वारा जारी सजरे की फोटोप्रति के अनुसार भी उक्त बुद्धा मुल्ली का ही पुत्र होना बताया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बुद्धा दिनांक 22.01.2022 को जारी किया गया है, जिसमें भी उसके पिता का नाम मुरली अंकित किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र जारी करवाये जाने क्रम में प्रार्थिया चन्द्रवती द्वारा कार्यालय तहसीलदार, रूपबास के समक्ष प्रस्तुत अपने एवं इमरती व रामवती के शपथ पत्रों के अवलोकन से भी प्रथमदृष्टया यही प्रकट हुआ है, कि उक्त बुद्धा प्रार्थिया चन्द्रवती का ससुर होकर, मुल्ली का पुत्र रहा है। प्रार्थिया चन्द्रवती की ओर से पुलिस थाना रूपबास पर जरिये न्यायालय अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक फौजदारी मुकदमा संख्या 614/2023 दर्ज करवाया जाना भी प्रकट हुआ है, जिस मुकदमें में बाद अनुसंधान मुस्तगीसा चन्द्रवती का ददिया ससुर बुद्धा होना एवं बुद्धा का पिता मुल्ली होना पाया गया है। मामले में अप्रार्थी मनोहरी द्वारा भी प्रार्थिया के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा सं. 662/2022, इस आक्षेप के साथ दर्ज करवाया गया था, कि बुद्धा का प्राकृतिक पिता मुल्ली नही है, जिसे फर्जी रूप से मुल्ली का पुत्र बताते हुए कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया है, जिस मुकदमे में बाद अनुसंधान निकाले गये निष्कर्ष से भी मुल्ली के उसकी दो पत्नियों धूपी एवं सुगनी से कुल छः पुत्रों का जन्म होना माना गया है तथा उक्त मुकदमे में किये गये समग्र अनुसंधान से बुद्धा का पिता मुल्ली नहीं पाया गया हो, ऐसा प्रकट नहीं हुआ है। उभयपक्षकारान द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमों में पुलिस द्वारा की गई जांच एवं अनुसंधान से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाना प्रकट नहीं हुआ है, कि प्रार्थिया का

ससुर बुद्धा, दौजी नामक व्यक्ति का पुत्र रहा हो। यद्यपि अप्रार्थीगण की ओर से नामान्तकरण पंजिका एवं जमाबंदी की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित भूमि बुद्धा आत्मज दौजी, कौम चमार, निवासी श्रीनगर के नाम दर्ज होना जाहिर आता है, परन्तु अभिलेख पर प्रथमदृष्टया बुद्धा के मुल्ली की संतान होने बाबत् पर्याप्त दस्तावेजात रहे है ।

10. यहाँ यह महत्वपूर्ण है, कि बुद्धा प्रार्थीगण के कहेअनुसार मुल्ली का पुत्र है अथवा अप्रार्थीगण के बताये अनुसार दौजी नामक व्यक्ति का पुत्र है, यह तथ्य तथा उक्त दस्तावेजात की सत्यता एवं विश्वसनीयता उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य के उपरान्त गुणावगुण पर ही विनिश्चित किये जा सकने योग्य है, जिस बिंदु पर इस स्तर पर कोई अंतिम मत दिया जाना संभव एवं न्यायोचित नहीं है। साथ ही यह भी सुस्थापित विधि है, कि वाद लम्बन के दौरान वादग्रस्त सम्पत्ति को संरक्षित किया जाना न्यायालय का परम कर्तव्य है। प्रार्थिया द्वारा मूल वाद वादग्रस्त जायदाद के विभाजन का मुख्य अनुतोष चाहते हुये प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दौराने दावा वादग्रस्त संपत्ति को सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित रहा है ।

11. अतः उपर्युक्त विश्लेषणानुसार प्रार्थीगण स्वयं के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला प्रमाणित करने में सफल रहे हैं, जिससे उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

-:सुविधा का संतुलन एवम् अपूरणीय क्षतिः-

12. चूंकि उपर्युक्त विश्लेषणानुसार प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में विनिश्चित किया गया है तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मूलवाद में पक्षकारान के अचल सम्पति से सम्बन्धित मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण अधिकार अन्तर्वलित रहे है, जिसमें यदि अप्रार्थीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वतंत्र रखा जाता है एवं उनके द्वारा उक्त सम्पति अन्यत्र रहन, दान, विक्रय अथवा अन्यथा अंतरित कर दी जाती है, तो प्रार्थीगण को निश्चित रूप से अपेक्षाकृत अधिक असुविधा एवं क्षति होना संभाव्य है, जिसकी पूर्ति नकद में किया जाना संभव नही होगा। साथ ही उभय पक्षकारान के मध्य अधिक फौजदारी एवं वाद बाहुल्यता रोकने की गरज से वादग्रस्त जायदाद के अंतरण पर वर्जना आवश्यक प्रकट होती है । अतः उक्त

विश्लेषणानुसार ये दोनों बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं।

13. अतः उपर्युक्त विश्लेषणानुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये हैं, जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत आवेदन स्वीकार योग्य प्रकट होता है ।

-:आदेश:-

14. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर उभय पक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि उभयपक्ष ता-फैसला मूल वाद विवादित सम्पत्ति के रिकॉर्ड की आज की स्थिति को यथास्थित बनाये रखें, किसी प्रकार से अन्यंत्र रहन, बय व मुन्तकिल न करें, न करवायें। उभयपक्षकारान पाबंद रहें ।

(प्रशांत शर्मा)

15. आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रशांत शर्मा)